निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email - mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक–एफ–70/PN–10/2021/तीन/330 भोपाल, दिनांक 03/06/2022

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराये जाने के सम्बंध में प्रक्रिया, सामग्री, निर्देशों में परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ : आयोग का पत्र क्रमांक एफ–70/PN–10/2021/तीन/196 भोपाल, दिनांक 12.04.2021.

आयोग के संदर्भित पत्र द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2021 में पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराये जाने की स्थिति में निर्देश जारी किये गये है। आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

2. समस्त पदों के लिए मतपत्र और मतपेटी का उपयोग किया जायेगा। पंच पद के लिए सफेद रंग के, सरपंच पद के लिए नीले रंग के, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए पीले रंग के तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र मुद्रित कराये जायेंगे।

3. मतदान अधिकारी क्रमांक–1 मतदाता सूची एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसके दायित्व वही होंगे, जैसे की पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका (मार्च, 2020 संस्करण) के अध्याय–6 में वर्णित किये गये हैं।

4. मतदान अधिकारी क्रमांक–2 मतदाता को पंच के साथ–साथ सरपंच के मतपत्र जारी करेगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज कर मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अगूंठा निशान प्राप्त कर मतदाता को मतपत्र सौंपेगा।

5. मतदान अधिकारी क्रमांक–3 मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पद के मतपत्र जारी करेगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज कर मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अगूंठा निशान प्राप्त कर मतदाता को मतपत्र सौंपेगा।

6. मतदान अधिकारी क्रमांक–4 मतपत्रों को मतपेटी में डलवाना सुनिश्चित करेगा। यह अधिकारी बीच–बीच में "पुशर" की सहायता से मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अंदर ढकेलता भी रहेगा, ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यह कार्य मात्र सतत् निगरानी का कार्य है, विशेष परिस्थितियों में (जब मतदान दल का गठन पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारियों के बीच किया जाये) यह दायित्व एवं निरीक्षण पीठासीन अधिकारी स्वयं कर सकता है।

7. मतदान समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक पद का मतपत्र लेखा प्ररूप–15 भाग–1 में तैयार किया जायेगा, जिसमें वह मतपत्रों का विवरण अंकित करेगा। इसी प्रकार मतगणना समाप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम प्ररूप–15 के भाग–2 में प्रारम्भिक गणना का परिणाम दर्ज करेगा, तत्पश्चात् यथास्थिति प्ररूप–16, प्ररूप–17, प्ररूप–18 एवं प्ररूप–19 के भाग–1 में मतों की गणना का परिणाम दर्ज करेगा।

8. समस्त पदों के निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से होने की दशा में "मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी" के प्रारूप में आवश्यक संशोधन किये गये हैं, अतः पूर्व में प्रदाय की गई पी.ओ.लीफलेट में संलग्न मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी के स्थान पर अब इसका ही उपयोग किया जाये। नवीन प्रारूप में चारों पदों का उल्लेख किया गया है तथा इसकी पर्याप्त प्रतियाँ आपको आयोग स्तर से प्रदाय की गई है। सामग्री वितरण के समय इसे मतदान दल को प्रदाय किया जावे तथा पीठासीन अधिकारियों को तदानुसार प्रविष्टियाँ की जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

9. समस्त पदों के निर्वाचन मतपत्र/मतपेटी से होने की दशा में फाईल–फोल्डर के क्रमांक–09 से 25 तक उपयोग में आने वाले लिफाफों को अंकित किया गया है। पीले रंग के फाईल–फोल्डर के पृष्ठ क्रमांक–3 और अंतिम पृष्ठ "निर्देश" का संशोधित प्रारूप संलग्न कर आपको पत्र क्रमांक–139 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से भेजा जा चुका है। कृपया आपके जिले में उपलब्ध पीले रंग के फाईल–फोल्डर में संशोधित पृष्ठ क्रमांक–3 और अंतिम पृष्ठ "निर्देश" चस्पा कर उक्त फाईल–फोल्डर का उपयोग किया जाये।

10. मतदान तथा मतगणना के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसरो के लिए हस्त पुस्तक "निर्वाचन संदर्शिका" (जून, 2009 संस्करण) तथा पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका (मई, 2009 संस्करण) का भी अध्ययन करने का कष्ट करें, यह पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

11. मतगणना के दौरान सर्वप्रथम पंच पद की मतगणना की जावेगी तत्पश्चात् क्रमशः सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की मतगणना की जाएगी।

12. आयोग द्वारा मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित करते हुए पी.ओ.बुकलेट एवं पी.ओ.लीफलेट तैयार की गई है। मतदान केन्द्रों पर इसका ही उपयोग किया जाये, परन्तु पी.ओ.बुकलेट एवं लीफलेट में समाहित ई.व्ही.एम. से संबंधित प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट का उपयोग नहीं किया जायेगा।

13. समस्त पदों का निर्वाचन मतपेटी से कराये जाने की स्थिति में पूर्व प्रचलित प्ररूप/लिफाफों में संशोधन किया गया है। आयोग द्वारा आपको निम्नलिखित सामग्री प्रदाय की जायेगी :–

(1) मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी।

(2) पुनर्मतगणना के लिए प्रस्तुत आवेदन पर उनके सम्बंध में पारित आदेश, सूची का लिफाफा।

(3) मतदान प्रकोष्ठ मतपेटी पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य।

(4) मतपत्र लेखा एवं प्रारंभिक गणना का परिणाम रखने के लिए लिफाफा क्रमांक 05 का उपयोग किया जायेगा।

(5) समस्त पदों का निर्वाचन मतपेटी से होने पर लिफाफा क्रमांक–01, 02, 04, 05 06, 07, 08, 09, 10 एवं प्रथम पैकेट तथा द्वितीय पैकेट का उपयोग किया जायेगा।

(6) मतगणना का परिणाम, प्ररूप–16 (भाग–एक एवं भाग–दो), प्ररूप–17 (भाग–एक एवं भाग–दो), प्ररूप–18 (भाग–एक एवं भाग–दो) में तथा प्ररूप–19 (भाग–एक, भाग–दो एवं भाग–तीन) अभिलिखित किया जाएगा।

(7) समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र से होने से निर्वाचन की विवरणी प्ररूप–20, प्ररूप–21, प्ररूप–22 एवं प्ररूप–23 में तैयार की जायेगी।

(8) नवीन मतपत्र लेखा की पावती सरपंच पद हेतु जो कि जिलों को 04 प्रतियों में प्रदाय की गई है उसका उपयोग जनपद पंचायत/जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भी किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। मतदान दल को इनके सम्बंध में भलीभांति प्रशिक्षित किया जाए तथा समस्त सर्वसम्बंधितों को अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

3/6/2022

(राकेश सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृ. क्रमांक एफ–70/PN–10/2021/तीन/ 331
भोपाल, दिनांक 03/06/2022

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
3. उप सचिव/अवर सचिव (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
4. अनुभाग अधिकारी (सामग्री प्रबंधन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
5. आई.टी.प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

3/6/22

(अज़ीज़ा सरशार ज़फ़र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग